



मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाएँ

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक:टीटीएस-सीसीटीएनएस-69/2012(IV)
सेवा में,

दिनांक:जुलाई ,2015

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
समस्त जनपद पुलिस प्रभारी उत्तर प्रदेश।

विषय:- Data Digitization Strategy and Process Document.

कृपया आप इस मुख्यालय के पत्र संख्या:टीटीएस-सीसीटीएनएस-69/2012(III) दिनांक: 20-09-2013 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सिस्टम इन्टीग्रेटर के स्तर से कराये गये डाटा डिजिटाईजेशन का पुष्टिकरण कराये जाने हेतु प्रक्रिया से अवगत कराया गया है।

2— उक्त प्रक्रिया में कतिपय समस्याएँ प्रकाश में आने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि एनआईआईटी० द्वारा प्रत्येक जोन स्तर पर अपने कार्मियों के द्वारा (वर्ष 2003 से 2012 तक का) डाटा डिजिटाईज्ड कराया जाएगा, जिसका परीक्षण / पुष्टिकरण थाना प्रभारी अथवा उनके द्वारा नामित कार्मिक द्वारा किया जाएगा, जिसके सम्बन्ध में प्रक्रिया संलग्नक है।

3— डाटा इन्ट्री अथवा डाटा पुष्टिकरण के समय सिस्टम इन्टीग्रेटर को साइन आफ उपलब्ध कराया जाए उसकी दो मूल प्रति साइन आफ प्रदान कर्ता कार्मिक अपने साथ लें जिसे वह जनपदीय नोडल अधिकारी के कार्यालय में जमा करेगा, ताकि जब एनआईआईटी को भुगतान किया जाए तो उसकी एक मूल प्रति जनपद स्तर से संकलित किये जाने के उपरान्त प्राप्त की जा सके।

4— उक्त के साथ-साथ आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रक्रिया के अनुरूप डाटा डिजिटाईजेशन / पुष्टिकरण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें, जिसके लिए आवश्यक अभिलेख सहित निहित प्राविधान के अनुसार पुलिस कामिकों को नामित करना सुनिश्चित करें।

5— एनआईआईटी द्वारा पूर्व में जो डाटा डिजिटाईजेशन कराया गया है उसे भी संशोधित कराये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने जा रहे हैं। इस हेतु उन्हें पूर्व निर्गत निर्देशों के क्रम में आवश्यक हार्डवेयर / स्थान / फर्नीचर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोपरि।

(अमर०क०विश्वकमा) १५३१

अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवाएँ, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1— पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
- 2— पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
- 3— श्री जफर रिजवी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेसर्स एनआईआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड।
- 4— श्री राजीव वशिष्ठ, प्रोजेक्ट मैनेजर, एसपीएमयू।
- 5— प्रभारी सीसीटीएनएस को बैवसाइट पर अपलोड कराने हेत।

02/06/2015

https://mail.gov.in/iwc_static/layout/shell.html?lang=en&3.0.0.0.1_020202

(689)

Subject: RE: RE: Data Digitization Strategy and Process Document

Date: 24/06/15 06:12 PM

From: Nitin Kumar <nitin2.bansal@in.ey.com>

To: tshq@up.nic.in <tshq@up.nic.in>
'cctns_up@ncrb.nic.in' <cctns_up@ncrb.nic.in>
Cc: Mohit Verma <Mohit2.Verma@in.ey.com>, Amit K Thakur <amit2.thakur@in.ey.com>, Ritviz Agrawal <ritviz.agrawal@in.ey.com>, Rajeev Vashista <rajeev.vashista@in.ey.com>, dspccnts-up@nic.in <dspccnts-up@nic.in>

image001.gif (8kB)

Dear Sir,

As discussed, it seems fine now and can be accepted. Kindly suggest.

Warm Regards.

Nitin Kumar | Consultant | Business Advisory Services

Ernst & Young LLP

Golf View Corporate Tower- B, Near DLF Golf Course, Sector- 42, Sector Road, DLF Phase V, Gurgaon-122002, Haryana, India

Direct: +91 124 464 4957 | Office: +91 124 464 4000 | nitin2.bansal@in.ey.com

Fax: +91 124 464 4050 | Mobile: +91 90172 95129

Website: <http://www.ey.com>

From: Rajeev Vashista


Sent: Wednesday, June 24, 2015 3:28 PM

To: Nitin Kumar

Cc: Mohit Verma; Amit K Thakur; Ritviz Agrawal

Subject: FW: RE: Data Digitization Strategy and Process Document

*As per Subject
Rajeev
24/6/15*



UP-CCTNS

Data Digitization Strategy and Process Document



Contents

1	Document Information and Revision History	3
2	Document Purpose	3
3	Scope of Work.....	4
4	Analysis and Transformation	4
5	Data Digitization Methodology.....	4
6	Data Quality Assessment and Review Methodology and Sign-off Process	5
6.1	Data Validation Levels.....	5
6.2	Data Validation Steps.....	5
7	Data Migration Process.....	6
8	Exceptions and Complex Scenarios.....	6
9	Annexure	9

Abbreviation

UPPTS	UP Police Technical Services
DEO	Data Entry Operators
DMU	Data Migration Utility
CAS	Core Application Software
NTL	NIIT Technologies Ltd.
SI	System Integrator



1 Document Information and Revision History

File Name	UP CCTNS Data Digitization Strategy and Process Document
Original Authors	NIIT Tech. Ltd

Version	Date	Revision Author	Revision Notes	Approving Authority name and signature
1.0	18 th April 2015	Vinod Kumar, NTL (SI)	Initial Document	UPCCTNS Nodal Officer

2 Document Purpose

- The primary purpose of this document is to explain UP CCTNS Data Digitization scope of work, strategy, methodology, operating process, validation process and final closer.



3 Scope of Work

- NIIT Technologies Limited ('SI' or 'NTL') will perform the digitization of historical cases from Crime Register (Register No 4) and active History sheets from history sheet register available at Police Stations.
- SI will perform data digitization of IPC cases from 1st Jan 2003 to 31st Dec 2012 and State Act cases (CrPC) from 1st Jan 2009 to 31st Dec 2012 excluding Police Act, MV Act and Section 135 /138 of Electricity Act.

4 Analysis and Transformation

- NIIT Technologies Ltd (SI) has done the analysis of the legacy data available at Police Stations and observed that case data is not available in the form of 7 IIF Forms hence case data has to be digitized from the manual register i.e. Crime Register 4.
- NIIT Technologies Ltd (SI) has done the study of CAS and developed a Data Entry Application based on CAS 3.0 data structure to capture the available information of case data from manual registers. Data Entry will be done as per data structure of CAS 3.0.
- SI will digitize the available data as per Crime Register 4. Default values in CAS 3.0 for all 'not null' columns for which information is not available in manual register will be entered as "उपलब्ध नहीं" or have to leave blank. Numeric fields have to be left blank.
- Migration of digitized historical case data from manual register has to be migrated to production server using data migration utility provided by NCRB. Data migration speed will depend on the utility provided by NCRB.

5 Data Digitization Methodology

- SI will do the Data Digitization of case data as per the scope.
- UP Police will provide required documents for digitization of historical case data i.e. Crime Register, FIR Jild etc. for the period of 10 years from 1st Jan 2003 to 31st Dec 2012 for data digitization as per requirement and will ensure timely availability of records as per requirement.
- UP Police will nominate one station writer from each Police Station to support data entry operator in digitization of historical case data from Crime Register. UP Police will nominate two Station Writers from each Police Station to ensure availability of one station writer for data digitization in absence of other.



- Nominated station writer will bring required document for data digitization and will support data entry operator in digitization of data from Crime Register.
- To control quality and accuracy of data, Police personnel from respective police station should verify each record after entering in data entry software and will get necessary correction done from data entry operator, if any.
- Police person should check correctness of data and will provide sign-off on daily basis for entered data on "Daily Data Entry Verification Report" (sample attached as annexure)

6 Data Quality Assessment and Review Methodology and Sign-off Process

6.1 Data Validation Levels

There will be 2 levels for validation of data.

- ↓ Level 1 Validation - Police Person nominated for data entry.
- ↓ Level 2 Validation – Data validation team from Police Station

6.2 Data Validation Steps

Level 1 Validation

- First level validation will be done by respective police person supporting data entry along with data entry operator for each record and will provide sign-off on daily basis for entered data.

Level 2 Validation

- Second level validation will be done by nominated validation team from police station for year wise records within two weeks on receiving the request for data validation. After validation, Sign-off has to be provided by SHO/Validation team for validated data. Level 2 sign-off will be considered final for data porting and closure.



7 Data Migration Process

- Validated data will be ported in online CAS only.
- Level 2 Sign off will be considered for processing the payment.

8 Exceptions and Complex Scenarios

1. अपराध रजिस्टर में अंकित मुकदमे को सॉफ्टवेयर में CCN संख्या या FIR संख्या में से किससे दर्ज किया जाए क्योंकि CAS SOFTWARE में अपराध केवल एक ही केस संख्या से दर्ज किया जा सकता है।

Solution: निर्देशानुसार अपराध रजिस्टर में अंकित मुकदमे को FIR संख्या के स्थान पर CCN संख्या से दर्ज किया जायेगा।

2. यदि अपराध रजिस्टर में किसी मुकदमे में CCN संख्या शब्द एवं अंक में (ALPHANUMERIC) है।

Solution: ऐसी स्थिति में उस मुकदमे को दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि CAS SOFTWARE में ALPHANUMERIC FIR No. दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है।

उदाहरण : Cross Cases

3. अपराध रजिस्टर में जिन मुकदमों में CCN संख्या NIL है।

Solution: जिन मुकदमों में CCN संख्या NIL है उन मुकदमों को दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि CAS SOFTWARE में अपराध दर्ज करने के लिए केस संख्या अनिवार्य है।

4. यदि अपराध रजिस्टर में पीडित का ब्यौरा अलग से उपलब्ध नहीं है।

Solution: अपराध रजिस्टर में पीडित का ब्यौरा यदि अलग से उपलब्ध है तो ही दर्ज किया जाएगा (जैसे की - पीडित / चोटिल / मृतक / घायल / अपहृत) और यदि अलग से उपलब्ध नहीं है तो ऐसी अवस्था में वादी / शिकायतकर्ता को ही पीडित माना जाएगा। परन्तु जो अपराध राज्य की ओर से दर्ज करवाए गए हों और शिकायतकर्ता सरकारी कर्मचारी है उन अपराधों में शिकायतकर्ता को पीडित में अंकित नहीं किया जायेगा।



5. अपराध रजिस्टर में जिन मुकदमों में अभियुक्त की गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण का विवरण/तिथि उपलब्ध नहीं है।

Solution: ऐसी स्थिति में अभियुक्त की गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण का विवरण अंकित नहीं किया जा सकता।

6. अपराध रजिस्टर में जिन मुकदमों में अभियुक्त की गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण का विवरण उपलब्ध नहीं है, परन्तु जमानत का विवरण उपलब्ध है।

Solution: ऐसे मुकदमों में अभियुक्त को गिरफ्तार मानते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी मुकदमे की तिथि में अंकित करेंगे और तत्पश्चात जमानत का विवरण अंकित करेंगे।

7. अपराध रजिस्टर में जिन मुकदमों में जमानतियों का विवरण उपलब्ध है परन्तु जमानत की तिथि उपलब्ध नहीं है।

Solution: ऐसे मुकदमों में जमानत की तिथि के बिना जमानत का विवरण दर्ज नहीं की जा सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जमानत की तिथि अंकित करना अनिवार्य है। ऐसे मुकदमों में मुकदमे की तिथि को ही जमानत की तिथि मानते हुए अभियुक्त की जमानत का विवरण अंकित करेंगे।

8. जिन मुकदमों में एक से अधिक अंतिम रिपोर्ट लगी है।

Solution: ऐसे मुकदमों में जो अंतिम रिपोर्ट सबसे अंतिम तिथि में उपलब्ध है उसे ही दर्ज किया जाएगा क्योंकि CAS सॉफ्टवेयर में एक ही अंतिम रिपोर्ट अंकित करने का प्रावधान है।

9. जिन मुकदमों में चार्जशीट और अंतिम रिपोर्ट दोनों लगी हैं।

Solution: ऐसे मुकदमों में जो रिपोर्ट सबसे अंतिम तिथि में उपलब्ध है उसे ही दर्ज किया जाएगा क्योंकि CAS सॉफ्टवेयर में एक ही अंतिम रिपोर्ट अंकित करने का प्रावधान है।



10. जिन मुकदमों का विवरण पढ़ने में नहीं आ रहा है

Solution: ऐसे मुकदमों को दर्ज नहीं किया जायेगा। यदि ऐसे मुकदमों को दर्ज किया जाता है तो उसमे अपठनीय शब्दों की किसी प्रकार की त्रुटि की जिम्मेदारी SI की नहीं होगी और उसे त्रुटि नहीं माना जाएगा।

11. जिन मुकदमों में न्यायालय के आदेश की तिथि उपलब्ध नहीं है

Solution: ऐसी अवस्था में न्यायालय के आदेश को बिना तिथि के सॉफ्टवेयर में अंकित करना संभव नहीं है क्योंकि CAS SOFTWARE में बिना तिथि के विवरण अंकित करने का प्रावधान नहीं है।

12. जिन मुकदमों में चार्जशीट / अंतिम रिपोर्ट संख्या शब्दांक में (ALPHANUMERIC) हैं।

Solution: CAS SOFTWARE में ALPHANUMERIC चार्जशीट / अंतिम रिपोर्ट संख्या दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए केवल NUMERIC चार्जशीट / अंतिम रिपोर्ट संख्या ही दर्ज की जा सकती है।

13. जिन मुकदमों में विवेचक / लेखक का नाम रजिस्टर में उपलब्ध नहीं है ?

Solution: ऐसी अवस्था में विवेचक / लेखक का नाम दर्ज नहीं किया जायेगा।



9 Annexure

Level 1 Sign off Template	
Level 2 Sign off Template	

Level 1 Sign off Template



Level 2 Sign off Template

		डाटा डिजिटाइजेशन पर्सनल सेलीचैन रिपोर्ट																			
		जनपद का नाम																			
		जनपद के शासक का नाम																			
क्रमांक	वर्ष (वित्त वर्ष का डाटा डिजिटाइज किया गया हो)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	कुल एकाउंटर की संख्या (संगत वर्ष की)																				
2	कुल एकाउंटर दो संख्या (वित्त वर्ष का डाटा डिजिटाइज किया गया हो)																				
3	कुल एकाउंटर की संख्या (वित्त वर्ष का डाटा डिजिटेशन किया गया)																				
4	कुल एकाउंटर की संख्या (वित्त वर्ष का डाटा डिजिटेशन किया गया)																				
5	अईआईएफ-1 की कुल संख्या जिनका डाटा डिजिटेशन किया गया																				
6	अईआईएफ-2 की कुल संख्या जिनका डाटा डिजिटेशन किया गया																				
7	अईआईएफ-3 की कुल संख्या जिनका डाटा डिजिटेशन किया गया																				
8	अईआईएफ-4 की कुल संख्या जिनका डाटा डिजिटेशन किया गया																				
9	अईआईएफ-5 की कुल संख्या जिनका डाटा डिजिटेशन किया गया																				
10	अईआईएफ-6 की कुल संख्या जिनका डाटा डिजिटेशन किया गया																				
11	अईआईएफ-7 की कुल संख्या जिनका डाटा डिजिटेशन किया गया																				
12	अईआईएफ-8 की कुल संख्या जिनका डाटा डिजिटेशन किया गया																				
13	अईआईएफ-9 की कुल संख्या जिनका डाटा डिजिटेशन किया गया																				
14	अईआईएफ-10 की कुल संख्या जिनका डाटा डिजिटेशन किया गया																				
15	अईआईएफ-11 की कुल संख्या जिनका डाटा डिजिटेशन किया गया																				
16	अईआईएफ-12 की कुल संख्या जिनका डाटा डिजिटेशन किया गया																				
17	अईआईएफ-13 की कुल संख्या जिनका डाटा डिजिटेशन किया गया																				
18	अईआईएफ-14 की कुल संख्या जिनका डाटा डिजिटेशन किया गया																				
19	अईआईएफ-15 की कुल संख्या जिनका डाटा डिजिटेशन किया गया																				
20	अईआईएफ-16 की कुल संख्या जिनका डाटा डिजिटेशन किया गया																				
कुल संख्या																					

धाना प्रभारी / नामित सत्यापनकर्ता का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं धाने की मुहर